भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 430
(20 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

रोजगार गारंटी योजना

430. श्री नीरज डांगीः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा राजस्थान में रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ग्रामीण युवाओं को गारंटी के रूप में रोजगार प्रदान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों व चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस अवधि के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का ब्यौरा क्या है, और इन योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): महात्मा गांधी नरेगा योजना मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है, जिसमें अकुशल श्रम कार्य करने के लिए इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।

(ख): पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2019-20, 2020-21, 2021-22 और चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 (दिनांक 16.07.2022 की स्थिति के अनुसार) में राजस्थान राज्य में महात्मा गांधी नरेगा के तहत रोजगार प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों का व्यौरा इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	रोजगार प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के परिवार (आकड़े लाख में)	रोजगार प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवार (आकड़े लाख में)
2019-20	12.52	12.36
2020-21	16.21	15.93
2021-22	15.03	15.30
2022-23 (दिनांक 16.07.2022 की स्थिति के अनुसार)	**8.84**	**10.78**

(ग): वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 (दिनांक 13.07.2022 की स्थिति के अनुसार) में महात्मा गांधी नरेगा के तहत जारी की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार व्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

मंत्रालय में महात्मा गांधी नरेगा के लिए निगरानी और समीक्षा तंत्र की एक व्यापक प्रणाली है। उपरोक्त फ्रेमवर्क के कुछ महत्वपूर्ण तत्व नीचे सूचीबद्ध हैं:

(i) मंत्रालय विभिन्न मंचों जैसे मध्यावधि समीक्षा , श्रम बजट बैठकों , श्रम बजट संशोधन बैठकों, कार्यक्रम समीक्षा बैठकों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करता है। केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद और राज्य रोजगार गारंटी परिषदें समय-समय पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं।

(ii) राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटर , सामान्य समीक्षा मिशन और मंत्रालय के अधिकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए नियमित अंतराल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं। क्षेत्र के दौरों के बाद , निष्कर्षों/कमियों और सिफारिशों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उनकी ओर से उचित कार्रवाई के लिए साझा किया जाता है।

(iii) सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानक जारी किए गए हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयां स्थापित करने , योजना नियम, 2011 की लेखापरीक्षा के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा करने और सामाजिक लेखापरीक्षा आदि करने के लिए ग्राम संसाधन व्यक्तियों के प्रशिक्षण की सलाह दी गई है। विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा दल भी नियमित लेखापरीक्षा करता है ।

(iv) पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए गए हैं जिसमें परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग , प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) , राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन प्रणाली (एनईएफएमएस), आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) , रोजगार के लिए ग्रामीण दरों

का उपयोग करके अनुमान गणना के लिए सॉफ्टवेयर(सिक्योर) और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक जिले में लोकपाल की नियुक्ति करना शामिल हैं।

(v) महात्मा गांधी नरेगा के तहत कार्यों की गुणात्मक निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर राज्य तकनीकी प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए कदम उठाए गए हैं।

(vi) उच्च स्तर की निगरानी और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए , राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली और क्षेत्र अधिकारी ऐप शुरु किया गया है। राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली एप्प में , किसी विशेष कार्य जहां 20 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, उनकी एक जियो-टैग और टाइम स्टैंप वाली तस्वीर के साथ प्रतिदिन श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज की जाती है। क्षेत्र अधिकारी ऐप यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि क्षेत्र के अधिकारी अपेक्षित संख्या में निरीक्षण करें और योजना के सभी प्रासंगिक पहलुओं को देखे।

इसके अलावा केंद्रीय और राज्य रोजगार गारंटी परिषद , जिला विकास समन्वय और निगरानी समितियां (दिशा) और पीआरआई भी कार्यक्रम की निगरानी और पर्यवेक्षण करते हैं।

*****

राज्य सभा में दिनांक 20.07.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत आतारांकित प्रश्न संख्या 430 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 (दिनांक 13.07.2022 की स्थिति के अनुसार) में महात्मा गांधी नरेगा के तहत जारी की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार व्यौरा

		जारी की गई निधि (रुपए करोड़ में)			
क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	7204.72	10305.10	7182.67	2733.65
2	अरुणाचल प्रदेश	210.20	340.28	453.74	116.57
3	असम	1687.52	2602.33	2220.26	862.94
4	बिहार	3250.94	7284.24	5407.37	1444.60
5	छत्तीसगढ़	2640.32	3943.48	3894.34	501.55
6	गोवा	2.17	3.57	0.04	1.48
7	गुजरात	747.58	1478.12	1615.24	809.26
8	हरियाणा	338.13	763.56	722.68	85.68
9	हिमाचल प्रदेश	597.48	948.33	975.75	519.11
10	जम्मू और कश्मीर	1183.70	1152.32	950.14	78.48
11	झारखंड	1272.93	3424.08	3063.83	574.60
12	कर्नाटक	5462.71	5500.99	6028.08	2676.12
13	केरल	3520.17	4286.78	3551.93	1170.91
14	लद्दाख	0.00	0.00	59.04	15.43
15	मध्य प्रदेश	4718.94	9086.73	8479.09	1878.75
16	महाराष्ट्र	1670.66	1600.26	2056.46	1044.42
17	मणिपुर	610.75	1306.74	563.11	756.50
18	मेघालय	1024.44	1284.17	1121.66	468.38
19	मिजोरम	525.08	590.45	548.92	150.56
20	नागालैंड	330.45	483.82	569.46	118.81
21	ओड़िशा	2432.78	5215.29	5680.15	1509.11
22	पंजाब	748.86	1239.14	1257.59	226.36
23	राजस्थान	7267.48	8920.76	9867.75	4177.61
24	सिक्किम	82.69	110.17	112.42	15.50
25	तमिलनाडु	5559.69	8788.82	9638.13	3126.99
26	तेलंगाना	2221.32	4111.21	4105.20	1906.67
27	त्रिपुरा	731.14	1194.99	988.88	279.04
28	उतार प्रदेश	6017.02	12014.10	8509.57	4151.06
29	उत्तराखंड	455.80	886.27	642.03	325.96
30	पश्चिम बंगाल	8507.61	11454.05	7507.80	0.00
31	अण्डमान और निकोबार	5.84	4.86	7.63	4.61
32	लक्षद्वीप	0.24	0.00	0.30	0.00
33	पुदुचेरी	16.92	26.84	13.07	9.73
34	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00

*****